न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 01/2022 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2022/28

ऋषिराज सिंह दत्तक पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी बीट नोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री करण सिंह तंवर — अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2022

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 27.04.2018 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाना श्री शैतान सिंह पुत्र महताब सिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. सी.बी./जेओडी/8668 दिनांक 31.10.2003 जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा जारीशुदा है, जिसमें एक 122 बोर गन ए–34–887 दर्ज है। अपीलान्ट के नाना श्री शैतान सिंह पुत्र महताब सिंह का स्वर्गवास दिनांक 18.05.2003 को हो जाने पर अपीलांट ने स्व. शैतान सिंह के उत्तराधिकारी की हैसियत से नवीन अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के उत्तराधिकार में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन को दिनांक 27.04.2018 को आदेश पारित करते हुए निरस्त कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.04.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट के नाना श्री शैतान सिंह पुत्र महताब सिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. सी.बी./जेओडी/8668 दिनांक 31.10.2003 जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा जारीशुदा है, जिसमें एक 122 बोर गन ए–34–887 दर्ज है। शैतान सिंह की मृत्यु उपरांत उनकी धर्मपत्नि पन्ने कंवर द्वारा उक्त गन हरिशरण व्यापारिक प्रतिष्ठान आर्म्स एण्ड एम्युनेशन डीलर्स को बतौर सेफ कस्टडी जमा करवा दी। प्रकरण में अपीलार्थी के नाना स्व. शैतान सिंह पुत्र श्री महताब सिंह की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी ने स्व. शैतान सिंह के अन्य वारिसों के शपथ पत्रों सहित शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के आवेदन किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर से रिपोर्ट मांगी गई, जो अपीलांट के पक्ष में आई। अपीलांट ने विधिवत शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी लिया हुआ था, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। अपीलांट बचपन से ही अपने नाना स्व. शैतान सिंह के साथ रहता था तथा अनुज्ञा धारी स्व. शैतान सिंह की अपीलांट को गोद लेने की हार्दिक इच्छा थी। हालांकि अपीलांट के पास कोई लिखित गोदनामा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहकर निरस्त कर दिया कि अपीलांट का आवेदन आर्म्स नियम 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो लीगल माईण्ड एप्लाई किया और ना ही नियमों का सही विवेचन किया। अपीलांट के शपथ पत्र दिनांक 3.5.17 से अपीलांट शैतान सिंह का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी प्रमाणित हैं। स्व. शैतान सिंह की पत्नि श्रीमती पन्ने कंवर ने पंजीकृत गोदनामा दिनांक 04.06.2018 करवाकर यह प्रमाणित कर दिया कि अपीलांट शैतान सिंह का दत्तक पुत्र है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई। आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में खारिज किया गया। अपील धारा 5 कानूनी मियाद के अंतर्गत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील मियाद में शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्र सिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा अपीलांट को आर्म्स नियम 2016 के तहत नवीन प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया परन्तु अपीलांट ने उसका पूर्ण रूप से प्रत्युतर नहीं दिया। इसके साथ ही अपीलांट अपने नाना का शस्त्र प्राप्त करना चाहता है जो आर्म्स नियम 2016 के नियम 25 में विधिक उत्तराधिकारियों की सूची में सलंग्न नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है। मियाद अधिनियम की धारा 5 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2018 अपीलांट को सुनवाई समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अपील में अपीलांट के नाना स्व. शैतान सिंह के वारिसान की जांच करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर